

10 $\frac{08}{22}$

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता व
पक्षकारान अनुपस्थित रहने के कारण मूल वाद
अदम हाजरी अदम पेशी में खारिज किया
जा चुका है। अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 17-02-2024
को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाकर
पत्रावली इसी स्तर ट्रेप की जाती है। पत्रावली
निर्दिष्ट शुमार होकर वापस वाखिल हो एवं नम्बर
से इस हो।

उप खण्ड अधिकारी

बीपल (टीक)